

20/06/25 पत्रा० आज पेश हुई। शर्ची वकील ३५०।  
 तहसीलदार नदर से फॉर्म ५१ दिनांक 16/6/25  
 के रिपोर्ट प्राप्त हुई। शर्ची वकील की बहस  
 सुनी गई। शर्ची वकील द्वारा कथन रहे कि  
 राजस्व रिकॉर्ड में शर्ची का नाम रामकरण पुत्र फुली  
 के स्थान पर कम पुत्र फुली अंकित हो गया  
 है जो गलत है अतः इसे दुरुस्त किया जावे।  
 हमने पत्रा० पर उपलब्ध रिकॉर्ड व तहसीलदार पत्र  
 के प्रार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक  
 रिपोर्ट रामकरण पुत्र फुली व करन पुत्र फुली दोनो  
 व्यक्ति हैं। एवं राजस्व रिकॉर्ड में करन पुत्र फुली के  
 पर रामकरण पुत्र फुली का नाम अंकित  
 भी की गई।

अतः शर्ची का श्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर  
 शर्ची का नाम जमो के खाना सं. 108, 109 में  
 (वाके ग्राम मनोहरपुर/बवासापुर) में करन पुत्र फुली के  
 स्थान पर रामकरण पुत्र फुली दुरुस्त किया जा  
 है। अतानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये की  
 अनुमति प्रदान की जाती है।  
 श्रा० पत्र फुलल बुमार लेकर नम्बर से  
 कम किया जाकर कारिवाल दफ्तर ले

